यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल** के माह 07.2010 से 02.2018 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 09.03.2018 से 23.03.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी.सी. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; श्री राघवेंद्र सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.07.2010 से 28.07.2010 तक श्री एस.के. त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06.2008 से 06.2010 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समस्त पौड़ी गढ़वाल जनपद आता है। जनपद में खाद्यान/चीनी, संबन्धित योजनाओ के अंतर्गत, पंजीकृत परिवारों को राशन एवं मिट्टी का तेल का वितरण एवं monitoring की जाती है, जो कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

foRrh; o"kZ	LFkkiuk ¼2408½		xSj LFkkiuk ¼4408½		dqy vkoaVu	dqy O;;	vf/kD;	cpr
	vkoafVr /kujkf'k	O;; /kujkf'k	vkoafVr /kujkf'k	O;; /kujkf'k				
2010-11	133.35	120.03	0	0	133.35	120.03	0	13.32
2011-12	129.77	104.52	0	0	129.77	104.52	0	25.25
2012-13	137.92	133.55	0	0	137.92	133.55	0	4.37
2013-14	145.3	140.55	0	0	145.3	140.55	0	4.75
2014-15	171.69	145.18	0	0	171.69	145.18	0	26.51
2015-16	172.7	155.78	42.67	42.67	215.37	198.45	0	16.92
2016-17	230.53	162.16	44.33	41.5	274.86	203.66	0	71.2
2017-18 till the month 02.2018	242.41	196.44	25	0	267.41	196.44	0	70.97

वर्ष			
प्रारम्भिक शेष			

वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ: (क) केंद्रान्श (ख) राज्यांश (ग) अन्य प्राप्तियाँ	लागू नही	लागू नही	लागू नही
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(रु लाख में)

वर्ष			---	---	---	---	---
प्रारम्भिक अवशेष		---	---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
कुल प्राप्तियाँ			---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान कुल व्यय			---	---	---	---	---
अंतिम अवशेष			---	---	---	---	---

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-

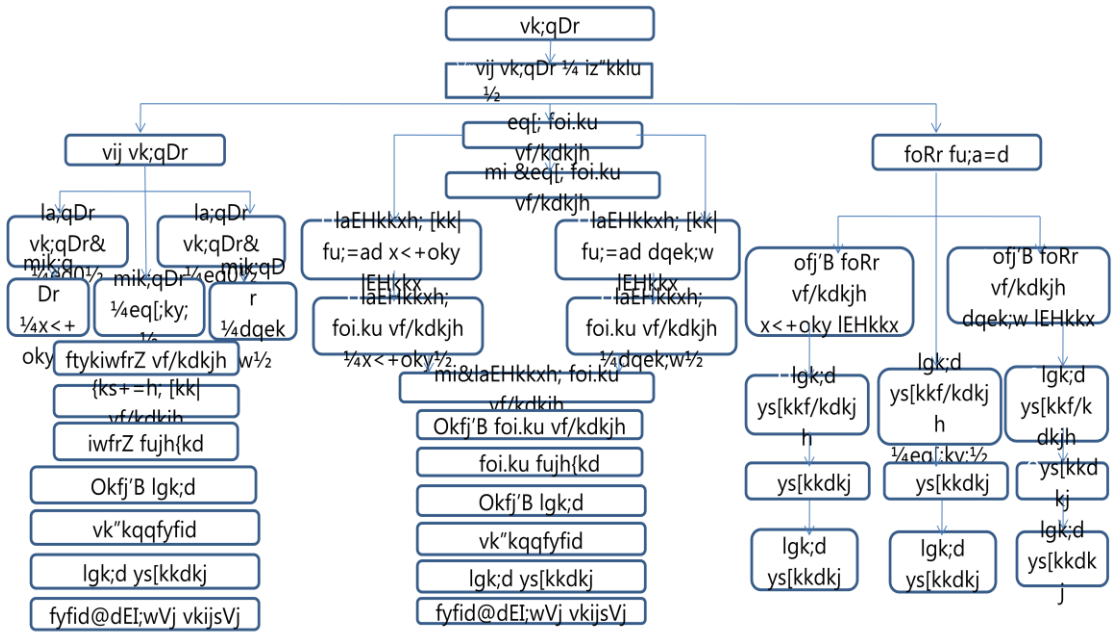

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 07.2010 से 02.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय **जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03.2016, 08.2016, 01.2018 एवं 03.2011 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 1 :- धनराशि रु 8.97 लाख की वसूली का लम्बित होना।

राशन कार्ड की धनराशि जिला पूर्ति अधिकारी के खाता, रिवोल्विंग फण्ड में जमा कराई जाती है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा राशन कार्ड की धनराशि से संबन्धित लेखा-जोखा नियमानुसार रखा जाता है। जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा रिवोल्विंग फंड के अंतर्गत मुद्रित कार्डों को संबन्धित इकाइयों को वितरित किया जाता है एवं वितरित किए गए कार्डों का मूल्य वसूल कर रिवोल्विंग फंड (SBI A/c No. 1084 6935 427) में जमा करना होता है। जिला पूर्ति अधिकारी के रिवोल्विंग फंड (SBI A/c No. 1084 6935 427) में दिनांक 08.01.2018 की तिथि में धनराशि रु 10,68,547/- अंतिम अवशेष पायी गई। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा चार प्रकार के राशन कार्ड "AAY {खाद्य सुरक्षा योजना (अंत्योदय परिवार हेतु, A-061)}, NFSA {खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार हेतु, F-061)}, BPL {खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार हेतु, B-061)} & SFY {उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना (पात्र परिवार हेतु, S-061)}" मुद्रित कराकर शासन द्वारा निर्धारित मूल्य क्रमश: रु 5/-, रु 5/-, 5/- एवं रु 10/- की दर से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को जारी करने हेतु निर्गत किए जाते हैं। जारी किए गए कार्डों का मूल्य उनसे प्राप्त कर रिवोल्विंग फंड में जमा करना होता है **एवं** वित्तीय हस्तपुस्तिका (Volume- v, Part-1) के नियम– 26 अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "Government servants receiving money of behalf of the Government, should be entered in the receipt. The officer should satisfy himself at the time of signing the receipt that the amount has been **entered in the cash-book**.

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि दिनांक माह 07.2010 से माह 02.2018 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों को "AAY {खाद्य सुरक्षा योजना (अंत्योदय परिवार हेतु, A-061)}, NFSA {खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार हेतु, F-061)}, BPL {खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार हेतु, B-061)} & SFY {उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना (पात्र परिवार हेतु, S-061)}" के कुल 1,36,586 कार्ड निर्गत किए गए थे, जिनका मूल्य रु 10,84,500/- था। इसके सापेक्ष संबन्धित ग्रामीण क्षेत्रों से रु 2,79,482/- ही प्राप्त किए गए थे, शेष रु **8,05,018/-** की धनराशि वसूली 01 माह से 08 वर्ष पिछले व्यतीत हो जाने के पश्चात भी लेखापरीक्षा अवधि के माह 02.2018 तक लंबित थी। आगे, माह 07.2010 से माह 02.2018 की अवधि में शहरी क्षेत्रों को "AAY {खाद्य सुरक्षा योजना (अंत्योदय परिवार हेतु, A-061)}, NFSA {खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार हेतु, F-061)}, BPL {खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार हेतु, B-061)} & SFY {उत्तराखण्ड राज्य खाद्य योजना (पात्र परिवार हेतु, S-061)} के कुल 13,087 कार्ड निर्गत किए गए थे, जिनका मूल्य रु 98,755/- था। इसके सापेक्ष संबन्धित शहरी क्षेत्रों से रु 6,500/- ही प्राप्त किए गए थे, शेष रु **92,255/-** की धनराशि वसूली 01 माह से 08 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी लेखापरीक्षा अवधि के माह 02.2018 तक लंबित थी। अतएव ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से कुल धनराशि **रु 8,97,273/-** की वसूली लंबित थी।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए लम्बित वसूली के सम्बन्ध में कहा कि "*राशन कार्ड माह 07.2010 से माह 02.2018 की अवधि में संबन्धित इकाइयों को उनकी माँग के अनुरूप प्रेषित की गई थी। संबन्धित इकाइयों को धनराशि की वसूली हेतु बार-बार पत्र जारी करने के उपरान्त भी कार्यालय को यह भी अवगत नहीं कराया गया है कि कितने कार्ड शेष बचे हुये हैं। शीघ्र कार्यवाही की जायेगी*"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि *01 माह से 08 वर्ष* व्यतीत हो जाने के पश्चात भी धनराशि रु 8,97,273/- की वसूली लम्बित थी एवं विभागीय क्षति से बचाने हेतु धनराशि रु 8,97,273/- की यथाशीघ्र वसूली की जानी चाहिये थी।

अत: धनराशि रु 8.97 लाख की वसूली के लम्बित होने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग- दो (ब)</u>

<u>प्रस्तर</u> 2 :- धनराशि रु 19.69 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखा जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक- 126/ (1)/ xxvii (6)– T.C.A. 934– 2014 दिनांक 21.04.2017 (वित्त अनुभाग- 6) के अनुसार- "जितने भी बैंक खाते हैं, उन खातों में **अर्जित ब्याज** की पुष्टि करते हुये तत्काल उक्त धनराशि राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराई जाय। उक्त धनराशि को जमा कराने की विभागाध्यक्ष की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी रहेगी"।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इलाहाबाद बैंक शाखा पौड़ी गढ़वाल में जिला पूर्ति अधिकारी के नाम से खाता संख्या- 5011 4576 483, दिनांक 25.07.2012 से संचालित है। इस खाते में व्याज की धनराशि **Rs 68,659/-** अर्जित पायी गई, जिसको सुसंगत लेखाशीर्षक में लेखापरीक्षा अवधि के माह 02.2018 तक जमा नहीं कराया गया था। कोषागार में जमा करा पाने की स्थिति में इस धनराशि का कार्यालयीन कार्यों में व्यय हो जाने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। **<u>आगे,</u>** End to End digital computerization हेतु जनपद पौड़ी में 22 गोदामों के सापेक्ष 16 लैपटाप, 02 डेस्कटाप एवं 17 प्रिंटर, वर्ष 2015 में क्रय किए गए थे। अतिरिक्त हार्डवेयर की आवश्यकता होने पर जिला पूर्ति कार्यालय पौड़ी ने अपने पत्रांक- 440/ 30– 1 (अधि0)/ पौड़ी दिनांक 20.07.2016 द्वारा आयुक्त कार्यालय देहरादून से अतिरिक्त लैपटाप/डेस्कटाप/प्रिन्टर की मांग की गई। जिसके क्रम में आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक- 3186/ आ0 ले0 खा0/ कम्प्यूटरीकरण/ 2016- 17 दिनांक 16.02.2017 के द्वारा पौड़ी जनपद को रु 19.00 लाख प्राप्त हुई। इस धनराशि को दिनांक 29.03.2017 को इलाहाबाद बैंक शाखा पौड़ी गढ़वाल में जिला पूर्ति अधिकारी के नाम से खाता संख्या- 5011 4576 483 में जमाकर लेखापरीक्षा के अवधि माह 02.2018 तक संबन्धित मद में खर्च करने के बजाय अवरुद्ध रखा हुआ पाया गया। लगभग 01 वर्ष से अधिक समय से धनराशि रु 19.00 लाख अवरुद्ध रखे जाने से End to End digital computerization का कार्य भी प्रभावित होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। अतएव कुल धनराशि रु 19,68,659/- i.e. (68,659 + 19,00,000) अवरुद्ध पायी गई।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अर्जित ब्याज के संबंध में कहा कि "***यथाशीघ्र ब्याज की धनराशि को कोषागार में जमा कर दिया जायेगा***" एवं धनराशि रु 19.00 लाख के सम्बन्ध में कहा कि "***जिलाधिकारी द्वारा अभी तक अनुमोदन नहीं किया गया है***"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि लेखापरीक्षा अवधि के माह 02.2018 तक उक्त धनराशि रु 19,68,659/- अवरुद्ध पायी गई।

अतः धनराशि रु 19.69 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर 3:- धनराशि ₹ 3.30 करोड़ के व्यय एवं ₹ 11.72 लाख की प्राप्तियों की प्रवष्टियाँ रोकड़ बही में न किया जाना तथा ₹ 98.96 लाख के वाउचर एवं ₹ 0.60 लाख के चालान प्रस्तुत न किया जाना।

शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii (6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों – यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे I इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बंधित माह में किये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ''Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me'' and ''Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement.''

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल की रोकड़बही की नमूना जाँच में पाया गया कि चयनित माहों 03.2016, 08.2016, 01.2018 एवं 03.2011 (विस्तृत जाँच) एवं 12.2015, 08.2017, 02.2017 एवं 09.2014 (अंकगणितीय जाँच) में BM- 05 में दर्शित वेतन एवं अन्य विभिन्न मदों की कुल सकल व्यय धनराशि रू **329,88,312/-** को रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था। साथ ही, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बंधित माहों में किये गये लेनदेनों के सत्यापन करके संबन्धित प्रमाण-पत्र कोषागार में प्रेषित भी नहीं किए गये थे। विवरण:-

(रु में)

माह	कुल व्यय सकल धनराशि (Rs.)	नेट व्यय धनराशि (Rs.)	Remark, if any
व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 03.2016	7588355	3703504	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 08.2016	5563261	5150977	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 01.2018	3300411	2866018	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 03.2011	2307971	871550	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
व्यय की अंकगणितीय लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 12.2015	3142874	2687773	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
व्यय की अंकगणितीय लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 08.2017	3509890	3027125	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
व्यय की अंकगणितीय लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 02.2017	3264887	2981624	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
व्यय की अंकगणितीय लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 09.2014	4310663	3943663	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
योग=	**329,88,312/-**	**252,32,234/-**	

वित्तीय हस्तपुस्तिका (Volume- v, Part-1) के नियम– 21 अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "All moneys received by or tendered to government servants in their official capacity shall, **without undue delay** be paid in full into the treasury or into the bank and shall be included in the government account. Moneys received as aforesaid shall **not be appropriated to meet departmental expenditure, nor otherwise kept apart from the government account** एवं नियम– 22 के अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "The money received on behalf of the Central or other State Government shall be **deposited into the Treasury** or Bank". एवं नियम-26 के अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "Government servants receiving money

on behalf of the Government, should be entered in the receipt. The officer should satisfy himself at the time of signing the receipt that the amount has been **entered in the cash-book**.

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल की माह 07.2010 से 02.2018 की प्राप्तियों से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि माह 07.2010 से 02.2018 तक विभिन्न प्राप्तियों (सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता अर्थदण्ड, गैस अर्थदण्ड, दुकान अनुभाग प्राप्ति, निविदा शुल्क प्राप्ति एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से प्राप्ति) के रूप में कार्यालय को कुल धनराशि रु **11,72,436/-** प्राप्त हुई थी। इस सम्पूर्ण धनराशि रु **11,72,436/-** को रोकड़-बही में दर्ज नहीं किया गया था। प्राप्तियों को रोकड़-बही में दर्ज न करने के कारण प्राप्तियों समस्त प्राप्तियों को कितनी देरी से कोषागार में जमा किया गया था, ज्ञात नहीं किया जा सका। इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि उपरोक्त धनराशि रु 11,72,436/- की रोकड़-बही में प्रविष्टि न होने के सम्बन्ध में कहा कि "***प्रविष्टियाँ एक साधारण रजिस्टर में की गई है। भविष्य में रोकड़-बही में समस्त प्राप्तियों की प्रविष्टियाँ की जायेगी***"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लगभग 08 वर्षों (माह 07.2010 से) कुल प्राप्त धनराशि रु **11,72,436**/- के अभिलिखन के सम्बन्ध में नियमों का उलंघन किया जा रहा था।

आगे, रोकड़-बही की नमूना जाँच में पाया गया कि चयनित माह 03.2016 एवं 03.2011 (विस्तृत जांच) में ट्रेजरी द्वारा प्राप्त Form BM- 5 एवं रोकड़-बही के लेखापरीक्षा जांच में व्यय नेट धनराशि **रुपये 98,96,326/-** की भुगतान के वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें के वाउचर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिस कारण उन वाउचरों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। विवरण निमन्वत है:-

माह	कुल व्यय सकल धनराशि (Rs.)	नेट व्यय धनराशि (Rs.)	Remark, if any
व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 03.2016	7588355	3703504	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 03.2011	2307971	871550	वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
योग=	**98,96,326/-**	**45,75,054/-**	

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "*भविष्य में शासनादेशानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा*" एवं अप्रस्तुत वाउचरों के सम्बन्ध में कहा कि "*छानबीन करअगली लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिया जाएगा*"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii(6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के दिशा-निर्देश का उलंघन किया गया था एवं चयनित माहों 03.2016 & 03.2011 के समस्त वाउचरों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

आगे, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त रु 280/- कार्यालय में उपलब्ध पाये गए, लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किए जाने पर दिनांक 19.03.2018 को कोषागार में जमा किया गया। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त धनराशियों को प्राय: काफी देरी से कोषागार में जमा किया जा रहा था। अतएव धनराशियों को कोषागार में यथाशीघ्र जमा करवाने के सम्बन्ध में कार्यालय की उदासीनता प्रकट हुई। आगे, प्राप्तियों हेतु चयनित माह 08.2014 में *गैस अर्थदण्ड* से प्राप्त धनराशि रु 58,000/- के चालान एवं चयनित माह 06.2012 में *सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता अर्थदण्ड* से प्राप्त धनराशि रु 2,000/- के चालान लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतएव धनराशि रु 60,000/- के चालानों की प्रतिलिपियाँ लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया जा सका था।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अप्रस्तुत चालान के सम्बन्ध में कहा कि "***छानबीन के उपरान्त लेखापरीक्षा को छायाप्रति प्रेषित कर दी जायेगी***"

अतः धनराशि ₹ 3.30 करोड़ के व्यय एवं ₹ 11.72 लाख की प्राप्तियों की प्रवष्टियाँ रोकड़ बही में न किया जाना तथा ₹ 98.96 लाख के वाउचर एवं ₹ 0.60 लाख के चालान प्रस्तुत न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
SS/AIR-55/ 2005-06	02	Nil	nil	nil
SS/AIR-74/ 2008-09	01	02	nil	nil
SS/AIR-61/ 2010-11	nil	nil	nil	nil

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
SS/AIR-55/ 2005-06	**भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- 02; **भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- nil; **STAN-** nil; एवं **TAN**- nil	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है।	--
SS/AIR-74/ 2008-09	**भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- 01; **भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- 02; **STAN-** nil; एवं **TAN**- nil	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है।	--
SS/AIR-61/ 2010-11	**भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- nil; **भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- nil; **STAN-** nil; एवं **TAN**- nil	---	---	---

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, कार्यालय **जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री टी.एन. उपाध्याय	जिला पूर्ति अधिकारी	माह 09.2009 से दिनांक 31.03.2013 तक
श्री कुशाल सिंह कोहली	प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 31.01.2013 से 20.11.2013 तक
श्री कुँवर सिंह बिष्ट	जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 20.11.2013 से 26.08.2014 तक
श्री द्वारिका प्रसाद पैन्यूली	प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 26.08.2014 से 24.09.2014 तक
श्री कुँवर सिंह बिष्ट	जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 24.09.2014 से 31.06.2015 तक
श्री द्वारिका प्रसाद पैन्यूली	प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 01.07.2015 से 29.02.2016 तक
श्री भगवत किशोर मिश्रा	अपर जिलाधिकारी	दिनांक 29.02.2016 से 09.03.2016 तक
श्री जगदीश वर्मा	प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 09.03.2016 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला पूर्ति अधिकारी, कार्यालय **जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248001" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.